



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/पार्ट-1/ दिनांक हस्ताक्षर दिनांक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(नियमित/राजसेस/कृषि/विधि)
राजस्थान

विषय:- सत्र 2025-26 में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट
फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्र राजकाज रेफरेंस नम्बर 16203095 दिनांक 29.06.25

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा सत्र 2025-26 में महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त के क्रम में निम्न प्रकरणों में पूर्व में दिनांक 29.06.2025 को जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये पुनः विज्ञापन जारी कर **आवश्यकतानुसार** गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें:-

01. दिनांक 29-06-2025 के उपरान्त खोले गये नवीन महाविद्यालय एवं नियमित तथा राजसेस महाविद्यालयों में खोले गये नवीन संकाय/विषयों में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
02. राजकीय महाविद्यालयों (नियमित/राजसेस) में ऐसे विषय/संकाय जिनमें विज्ञापन जारी किये जाने के उपरान्त गेस्ट फैकल्टी द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है अथवा गेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया है, में आवश्यकतानुसार पुनः गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. महाविद्यालय में संचालित ऐसे नियमित विषय जिनमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है, में स्वीकृत पदों की संख्या के विरुद्ध एक-एक गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.09.24 10:28:48 IST
Reason: Approved



अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। कार्य व्यवस्था के तहत शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित नहीं किया जाना है।

उक्तानुसार विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करना एवं आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित जिला स्तरीय DRAC कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नानुसार समय सारणीनुसार किया जावेगा :-

विज्ञापन जारी किये जाने की दिनांक	26 सितम्बर, 2025 तक
आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अन्तिम दिनांक	03 अक्टूबर, 2025 तक
आवेदन पत्रों की जाँच कर पैनल का अनुमोदन किये जाने की दिनांक	07 अक्टूबर, 2025 तक
संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने की दिनांक	आवश्यकतानुसार

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. समस्त जिला स्तरीय DRAC महाविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
02. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.09.24 10:28:48 IST
Reason: Approved